निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 71/अपील/21 तारीख दायरा: 20.12.2021

कालू आ0 हिन्दू जाति दांगी नि0 सिलोरी तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पिडावा निर्णय दिनांक 23.09.2021
मिसल न0 179/2021

उपस्थितः— श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 15.02.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 29.09.2021 जो मिसल न0 179/21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम खारपाकलां की आराजी ख0न0 700 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा किस्म बजड प्रथम में से 2 बीघा 08 बिस्वा पर अतिक्रमी मानकर 89/—रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करवादी गई है । अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने उक्त बजड भूमि का अनुपजाऊ से उपजाऊ बनाया है एवं पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 556 दिनांक 05.10.2020 से 100 /—रू0 शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नही होना अंकन किया गया है इसी क्रम में अपीलान्ट उक्त आराजी पर भविष्य में भी कब्जा नही करेगा अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/— रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना ता स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/22 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़